

न्यायालय तहसीलदार जसवंतपुरा जिला-जालोर

सरकार
पटवारी हल्का गोलाणा

बनाम

मुकदमा नंबर 03/2019

गैरसायल


श्री रामसिंह पुत्र नारायणसिंह
जाति राजपुत निवासी मालगाव रेवदर

निर्णय

दिनांक:-17.07.2019

पत्रावली पेश हुई। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोलाणा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2076 में मौजा गोलाणा के खसरा नंबर 1535 रकबा 0.14 हेक्टर किस्म गैमु पहाड में अनाधिकृत रूप से कब्जा मय तारबंदी कर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल ने अपने जबाव में वकालतनाम पेश किया एवं कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नहीं किये इससे साफ जाहिर है कि गैरसायल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार है।

अतः गैरसायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (1)के तहत संवत 2074 में मौजा गोलाणा के खसरा नंबर 1535 रकबा 0.14 हेक्टर किस्म गैमु पहाड में अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमित रकबे से भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये साथ ही भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत अतिक्रमित रकबे का वार्षिक लगान 6 का 50 गुणा रू0 300/- अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार सूचित होकर पत्रावली नंबर से कम हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।


तहसीलदार जसवंतपुरा